

3/7/19

पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट डपण वकील
 अपीलान्ट द्वारा प्राथम्य पेश कर एवं आदेशिका पर
 Non pass आंकित कर प्रकरण को नोट प्रेष करने
 काष्ठ सिबेन किया गया। चूंकि वकील अपीलान्ट
 प्रलुट अपील में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है
 एवं प्रकरण को Non pass करना चाहता है/काल
 वकील अभी ही शेट से प्रलुट प्रण का स्वीकार कर
 अपील अपीलान्ट Non pass में रकारिज की जाती
 है। पत्रावली फ़ैवले शुमार होकर नम्बर से कम
 हो एवं बाद तकमील दारिबल कामिलेख की जाये।
 आसा सुनायी गयी।

note
 pages
 4
 3/7/19

